–एक सौ दस–

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–5

संख्या–सं0वि0क0नि0–5–6236 / ग्यारह–2009–500(99) / 2008

लखनऊ : दिनांक 20 नवम्बर, 2009

<u>अधिसूचना</u>

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10 सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित रजिस्ट्रीकरण अधिनियम–1908 (अधिनियम संख्या–16, 1908) की धारा–78 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या–एस0आर0– 976 / 11–95–500 (51) / 75 दिनांक : 31 मार्च, 1976 में दिनांक 01 दिसम्बर, 2009 से निम्नलिखित संशोधन करते है :–

<u>संशोधन</u>

उपर्युक्त अधिसूचना में,

(क) रजिस्ट्रेशन शुल्क की सारिणी में शब्द ''पॉच हजार रूपये मात्र'' के स्थान पर शब्द ''दस हजार रूपये मात्र'' रख दिये जायेंगे।

(ख) अनुच्छेद–1 में खण्ड (1) में, उप खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप खण्ड रख दिये जायेगें, अर्थात :–

(क) जहां मूल्य या प्रतिफल दो लाख पचास हजार रूपये अभिव्यक्त है।	ऐसे मूल्य या प्रतिफल का एक प्रतिशत।

(क–1) जहां मूल्य या प्रतिफल दो लाख पचास हजार रूपये से अधिक अभिव्यक्त है।	ऐसे मूल्य या प्रतिफल का दो प्रतिशत।

(ग) अनुच्छेद–1 में, टिप्पणी में , खण्ड (पांच) में शब्द और अंक ''5 रू0'' जहां कहीं आये हों, के स्थान पर शब्द ''दस रूपये'' रख दिये जायेंगे।

(घ) अनुच्छेद–3 के अन्त में आने वाले परन्तुक में, शब्द एवं अंक ''5 रू0'' जहां कहीं आये हो, के स्थान पर शब्द ''दस रूपये'' रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट

(देश दीपक वर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5–6236 (1)/ग्यारह–2009 लखनऊ : दिनांक : 20 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित :–

1. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. विधायी अनुभाग–1

8. समस्त अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), उत्तर प्रदेश।
9. समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश।

ह0अस्पष्ट

(देश दीपक वर्मा)

प्रमुख सचिव।

संख्या–क0नि0–5–6236 (II)/ग्यारह–2009 लखनऊ : दिनांक– 20 नवम्बर, 2009

प्रतिलिपि अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे दिनांक : 20 नवम्बर, 2009 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट, भाग–4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात् गजट की दो सौ प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन कार्यालय एवं एक सौ प्रतियां शासन के वित्त (स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन) अनुभाग को उपलब्ध करायें।

आज्ञा से,

ह0अस्पष्ट

(मधु माथुर)

उप सचिव।